UPAD010073682026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2, प्रयागराज

उपस्थित : अनुराधा पुण्डीर, ... एच0जे0एस0

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2730 / 2026

विशाल कुमार पुत्र स्व0 मोहन लाल निवासी 12 / 14 एम.जी. मार्ग, सागर पेशा बस्ती के पास थाना सिविल लाईन्स, जिला प्रयागराज। स्थाई निवासी 144के / एस2 नेहरू पार्क–रम्मन का पुरवा, थाना धूमनगंज, जिला प्रयागराज। ..... आवेदक / अभियुक्त

प्रति

राज्य उ0प्र0 ..... विपक्षी

अपराध सख्या–344 / 2025
अन्तर्गत धारा 109(1) भा0न्या0सं0 व धारा 3 / 25 आयुध अधिनियम
थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज

14.07.2026

1. आवेदक / अभियुक्त विशाल कुमार की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण के संबंध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक / अभियुक्त की ओर से आंचल मोदी (अभियुक्त की पत्नी) का शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

2. अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक, थाना सिविल लाईन्स रामाश्रय यादव ने दिनांक 24.10.2025 को थाना धूमनगंज में फर्द बरामदगी प्रस्तुत करते हुये इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी कि दिनांक 23.10.2025 को वादी मुकदमा मय हमराहियान थाना हाजा से रपट नं0–52 समय 21.08 बजे देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन में थाना क्षेत्र में मामूर थे कि समय 21.44 बजे वादी के सीयूजी नं0– 9454402822 पर मो0नं0– 9026272578 से फोन आया और कांपती, कराहती व घवराई आवाज में कालर ने जल्दी जल्दी बोला कि मैं पप्पू सिंह बोल रहा हूँ और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह का भतीजा हूँ, मेरे शरीर में कई चाकू मारे गये हैं, मैं हर्ष होटल के गेट नं0– 02 के सामने पड़ा हूँ, जल्दी पुलिस भेजिए और मुझे बचा लीजिए। इस सूचना पर वादी ने उपस्थित पुलिस बल के सदस्यों को घायल / पीडित कालर पप्पू सिंह की जान बचाने की प्राथमिकता के आधार पर उनके पास भेजा और घायल पप्पू सिंह को

लेकर उपचार हेतु जनता के सहयोग से तत्काल एस0आर0एन0 हास्पिटल ले जाकर भर्ती कराया गया। तत्पश्चात वादी मुकदमा मय हमराह व अन्य पुलिस बल के सदस्यों के साथ पतारसी/गिरफ्तारी अभियुक्त विशाल हेतु एस0आर0एन0 हास्पिटल से रवाना हुआ। जब वादी मुकदमा मय पुलिस बल के एकलव्य चौराहा पंहुचा तो वहां थाना सिविल लाइन्स के उ0नि0 आशुतोष सिंह व उ0नि0 रूपेश कुमार मिले जिन्हे मकसद बताकर हमराह लिया गया, जब समस्त पुलिस बल चौफटका पंहुचे तभी मुखविर खास की सूचना पर नेहरू पार्क मोड़ से जैसे ही रम्मन का पुरवा में सुनील श्रीवास्तव वाली गली के पहले ही मुखबिर द्वारा बताये हुये व्यक्ति को रुकने को कहा तो उस व्यक्ति ने गाली देते हुए कहा साले अभी मैंने पप्पू पत्रकार को मारा है तुम लोगों ने अगर पकड़ने की कोशिश की तो तुम लोगों को भी मार डालूगां। इसी बीच तमंचा निकालकर लहराते हुए कहा कि तुम लोग भाग जाओ नही तो तुम लोगों को जान से मार दूंगा वादी द्वारा ललकारते हुए कहा गया कि तुम चारों तरफ से घिर गये हो और अपने आप को पुलिस के सामने आत्म समर्पण कर दो लेकिन उसने नही माना और हम पुलिस बालों के उपर जान से मारने की नीयत से एक राउण्ड फायर कर दिया। पुलिस बाले सुनील श्रीवास्तव के मकान का आड़ लेते हुए बाल बाल बच गये। पुनः अभियुक्त विशाल कुमार को आत्म समर्पण हेतु बार–बार पुलिस बालों द्वारा कहा गया, लेकिन उसने पुनः हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। इसके बाद अभियुक्त अपने असलहे में पुनः कारतूस भरते हुए फायर कर दिया, किसी तरह से पुलिस वालों ने अपनी जान बचायी। अभियुक्त को बार बार आत्म समर्पण हेतु कहने के बावजूद भी वह आत्मसमर्पण नही कर रहा था, तत्पश्चात आत्म रक्षार्थ वादी मुकदमा ने अपनी सर्विस पिस्टल से तीन राउण्ड फायर किया व उ0नि0 सचिन तंवर ने अपनी सर्विस पिस्टल से एक राउण्ड फायर किया व उ0नि0 आशुतोष सिंह ने अपनी पिस्टल से एक राउण्ड फायर किया गया तथा वादी मुकदमा ने पुनः अभियुक्त को आत्म समर्पण हेतु कहा गया तो कोई भी आवाज नही आयी सन्नाटा सा छा गया। ध्यान से सुनने पर कराहने जैसी आवाज आयी पुलिस वाले अपने आप को छिपते छिपाते हुए अभियुक्त के पास पंहुचे तो देखा अभियुक्त विशाल कुमार के पैर में गोलियां लगी हुई हैं पैर से रक्त बह रहा है। अभियुक्त से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त ने अपना नाम विशाल कुमार बताया, जिसकी जामा तलाशी से दाहिने हाथ में एक अदद तमंचा 315 बोर व पहने हाफ पैण्ट के दाहिनी जेब से 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर पीतल का जिसकी पेंदी पर 8MM KF लिखा है व

जमीन पर पड़े 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 05 अदद खोखा कारतूस 9 एमएम पिस्टल के सुनील श्रीवास्तव के मकान के पास जमीन पर पड़े बरामद हुए।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदक निर्दोष है, उसको रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रस्तुत मामले में भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा फयार किया जाना कहा जाता है, किन्तु पुलिस बल के किसी सदस्य को कोई चोट नहीं आयी है। इसके विपरीत प्रार्थी/अभियुक्त के पैर में गोली मारी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का तीन मामलों का अपराधिक इतिहास है, जिसमें से दो मामले तो प्रस्तुत मामले से ही संबंधित है। पुलिस की फर्द बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जन साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध विधिक रूप से विश्वसनीय कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.10.2025 से कारागार में निरूद्ध है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुये यह तर्क रखा है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। प्रार्थी/अभियुक्त मु0अ0सं0 440/2025 धारा 103(1), 61(2) बी0एन0एस0 व धारा 4/25 आयुध अधिनियम की घटना कारित करके भागते समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का प्रयास करने पर, पुलिस बल पर जान से मार डालने की नीयत से फायर किया गया है। हत्या के प्रयास के मामले में चोट आना आवश्यक नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा वह जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि प्रस्तुत मामला पुलिस की फर्द बरामदगी पर आधारित है, जिसके अनुसार मु0अ0सं0 440/2025 धारा 103(1), 61(2) बी0एन0एस0 व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के मृतक पप्पू सिंह की हत्या के बाद वांछित प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान दिनांक 24.10.2025 को समय 00.05 बजे प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा पुलिस बल के सदस्यों पर जान से मार डालने की नीयत से फायर किया गया। प्रस्तुत मामले में पुलिस बल के किसी सदस्य को कोई चोट आना नहीं कहा जाता है, अर्थात प्रस्तुत मामला ''नो इंजरी'' से संबंधित है। प्रस्तुत मामले की मुडभेड़ के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त को ही पैर पर अग्नेयास्त्र की चोट आने का कथन किया गया है। प्रस्तुत मामले में विवेचना के

उपरान्त आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। फर्द बरामदगी/पुलिस मुटभेड़ का कोई स्वतन्त्र जन साक्षी नहीं है। संबंधित थाने द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का दो मामलों का अपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, किन्तु किसी मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के दोष सिद्ध होने का कोई कथन नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दिनांक 24.10.2025 से कारागार में निरूद्ध है।

7. उपरोक्त समस्त तथ्य, परिस्थितियों तथा चोटहिल के चोटों की प्रकृित को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए इस न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में दौरान मुकदमा जमानत दिए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त विशाल कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2730/2026 मुकदमा अपराध सख्या–344/2025 अन्तर्गत धारा 109(1) भा0न्या0सं0 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 1,00,000/– (एक लाख) रूपये की धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र व उतनी ही धनराशि की एक प्रतिभू संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो पर जमानत पर रिहा किया जाय–

1. जमानत पर छूटने के उपरांत अभियुक्त मामले से सम्बन्धित साक्षियों को डरायेगा/धमकायेगा नहीं और न ही प्रकरण के किसी साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।
2. अभियुक्त मामले के विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा अनावश्यक रूप से मामले मे स्थगन लेकर मामले के निस्तारण मे विलम्ब नहीं करेगा।
3. अभियुक्त नियत तिथि पर विचारण के दौरान न्यायालय मे उपस्थित रहेगा।
4. वर्तमान अपराध के सदृष्य अन्य अपराध मे लिप्त नहीं होंगा।

(अनुराधा पुण्डीर)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं. 2, प्रयागराज
J.O. Code No. UP 6343

दिनांक 14.07.2026

Digitally signed by ANURADHA PUNDIR
Date: 2026.07.17 11:04:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court